उर्दू प्रेस की समीक्षा और विश्लेषण

वर्ष 8 | अंक 18 | 16-30 सितंबर 2025 | ₹ 20/-

उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक हिंसा भड़काने का प्रयास

- उत्तर प्रदेश में 558 मदरसों की जांच पर रोक
- बांग्लादेश को इस्लामी राष्ट्र घोषित करने की तैयारी
- गाजा में युद्धविराम हेतु ट्रम्प की 20 सूत्री योजना
- ईरान के चाबहार बंदरगाह पर अमेरिकी प्रतिबंध

परामर्शदाता
डॉ. कुलदीप रतनू

सम्पादक
मनमोहन शर्मा*

सम्पादकीय सहयोग
शिव कुमार सिंह

कार्यालय
डी–51, प्रथम तल,
हौज खास, नई दिल्ली–110016
दूरभाष: 011–26524018

E-mail:
info@ipf.org.in
indiapolicy@gmail.com

Website:
www.ipf.org.in

मुद्रक–प्रकाशक: मनमोहन शर्मा द्वारा भारत नीति प्रतिष्ठान के लिए डी–51, प्रथम तल, हौज खास, नई दिल्ली–110016 से प्रकाशित तथा साई प्रिंटओ पैक प्रा.लि., ए–102/4, ओखला इंडस्ट्रीयल एरिया, फेस–2, नई दिल्ली–110020 से मुद्रित

*अनुवाद के लिए पूरी तरह जिम्मेदार

अनुक्रमणिका

सारांश 03

राष्ट्रीय

उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक हिंसा भड़काने का प्रयास 04
उत्तर प्रदेश में 558 मदरसों की जांच पर रोक 08
इस्लामी हुकूमत की साजिश रचने के आरोप में चार आतंकवादी गिरफ्तार 10
स्कूली पाठ्यक्रम में आरएसएस से जुड़े अध्याय शामिल करने पर विवाद 11
जेल से आजम खान की रिहाई 12

विश्व

बांग्लादेश को इस्लामी राष्ट्र घोषित करने की तैयारी 14
बगराम एयरबेस को अमेरिका को सौंपने से तालिबान का इनकार 15
पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच रक्षा समझौता 16
ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मसूद अजहर के पूरे परिवार के मारे जाने की पुष्टि 18
पाकिस्तान में विद्रोही सक्रिय 20

पश्चिम एशिया

गाजा में युद्धविराम हेतु ट्रम्प की 20 सूत्री योजना 22
छह यूरोपीय देशों द्वारा फिलिस्तीन को मान्यता देने की घोषणा 24
ईरान के चाबहार बंदरगाह पर अमेरिकी प्रतिबंध 27
रूस द्वारा ईरान में आठ नए परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की योजना 29
सीरिया और यूक्रेन के बीच राजनयिक संबंध बहाल 31

सारांश

कुछ शरारती तत्व विदेशी षड्यंत्रकारियों के इशारे पर देश में सांप्रदायिक तनाव पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं ताकि सामाजिक सद्भावना को बिगाड़ा जा सके। हाल ही में देश के कई मुस्लिम बहुल इलाकों में ईद-ए-मिलाद-उन-नबी (हजरत मोहम्मद का जन्मदिन) के जुलूस में 'आई लव मोहम्मद' का अभियान चलाया गया। अब तक मिलाद-उन-नबी के जुलूस में 'आई लव मोहम्मद' के पोस्टर व बैनर लहराने की परंपरा नहीं थी। प्रशासन को पहले ही सूचना मिल चुकी थी कि कुछ लोग सामाजिक तनाव पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए देश के अनेक हिस्सों में बिना अनुमति के जुलूस निकालने और प्रदर्शन करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इसके बावजूद कई स्थानों पर गैर-कानूनी प्रदर्शनों का आयोजन करके अशांति पैदा करने का घृणित प्रयास किया गया। शरारती तत्वों ने उत्तर प्रदेश के बरेली समेत कई स्थानों पर पुलिस पर पथराव किया और उन पर गोलियां चलाईं। बरेली के मौलाना तौकीर रजा खान ने शहर के मुसलमानों से शक्ति प्रदर्शन करने की अपील की थी। उन्होंने घोषणा की थी कि जुमा की नमाज के बाद वे एक भीड़ लेकर जिलाधिकारी के कार्यालय पर प्रदर्शन करेंगे और उन्हें ज्ञापन सौंपेंगे। तौकीर रजा इससे पहले भी कई बार मुसलमानों को भड़काकर अशांति फैलाने और दंगा करने का प्रयास कर चुके हैं।

अजीब बात है कि भीड़ को उत्तेजित करने के बाद मौलाना तौकीर स्वयं गायब हो गए। इसके बाद शहर में हिंसा भड़क उठी। उत्तर प्रदेश पुलिस ने उपद्रवियों के खिलाफ 21 से अधिक मुकदमे दर्ज किए और 100 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए लोगों में मौलाना तौकीर रजा और उनके सहयोगी भी शामिल हैं। हैरानी की बात है कि कई इस्लामिक कट्टरपंथी संगठन मौलाना तौकीर रजा के समर्थन में कूद पड़े हैं। वे मौलाना और उनके साथियों को बिना शर्त रिहा करने की मांग कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घोषणा की है कि किसी भी दंगाई को राज्य में अशांति फैलाने की अनुमति नहीं दी जाएगी और उनसे सख्ती से निपटा जाएगा।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने गाजा में युद्धविराम और स्थाई शांति हेतु 20 सूत्री योजना पेश की है। यह योजना मिस्र, कतर, संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब के साथ विचार-विमर्श के बाद तैयार की गई है। हालांकि, इसे कार्यान्वित करने में कई तरह की बाधाएं आ रही हैं। इजरायल ने ट्रम्प की इस योजना का स्वागत किया है, लेकिन आतंकवादी संगठन हमास ने हथियार डालने से साफ इनकार कर दिया है।

पश्चिम एशिया की राजनीति ने एक नया मोड़ लिया है। छह यूरोपीय देशों ने स्वतंत्र फिलिस्तीनी राज्य को औपचारिक मान्यता प्रदान कर दी है। फिलिस्तीन को विधिवत मान्यता प्रदान करने वाले देशों में फ्रांस, बेल्जियम, माल्टा, अंडोरा, मोनाको और लक्जमबर्ग शामिल हैं। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य देशों ने भी स्वतंत्र फिलिस्तीनी राज्य को औपचारिक मान्यता दे दी है। इस घटनाक्रम से अमेरिका और इजरायल दोनों को गहरा झटका लगा है। गौरतलब है कि इससे पहले संयुक्त राष्ट्र महासभा में 142 देशों ने स्वतंत्र फिलिस्तीनी राज्य का समर्थन किया था।

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प ने ईरान के सहयोग से भारत द्वारा विकसित किए जा रहे चाबहार बंदरगाह पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। इससे भारत और ईरान दोनों को गहरा झटका लगा है। भारत ने इस परियोजना में लगभग 600 मिलियन डॉलर का निवेश किया है। चाबहार बंदरगाह भारत के लिए रणनीतिक महत्व रखता है, क्योंकि इसे चीन द्वारा विकसित पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह का जवाब माना जा रहा है। भारत चाबहार बंदरगाह के जरिए अफगानिस्तान और पश्चिम एशिया के देशों के साथ सीधा व्यापार करना चाहता है।

उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक हिंसा भड़काने का प्रयास

इंकलाब (28 सितंबर) के अनुसार उत्तर प्रदेश पुलिस ने बरेली में जुमा की नमाज के मौके पर हुई हिंसा के आरोप में इत्तेहाद-ए-मिल्लत काउंसिल के अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा खान और उनके एक दर्जन से अधिक सहयोगियों को गिरफ्तार कर लिया है। जिला प्रशासन ने मौलाना तौकीर के अरबपति करीबियों की संपत्तियों को भी सील कर दिया है। जिला प्रशासन का कहना है कि जांच में जिन संपत्तियों को अवैध पाया जाएगा उन्हें बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया जाएगा। बरेली में हुई हिंसा के सिलसिले में अब तक 100 से अधिक आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। विभिन्न थानों में दो हजार से अधिक लोगों के खिलाफ 21 एफआईआर दर्ज की गई हैं। गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी है। बरेली हिंसा की जांच के लिए आठ सदस्यीय जांच टीम का गठन किया गया है। यह टीम यह भी जांच करेगी कि 'आई लव मोहम्मद' के राष्ट्रव्यापी अभियान के पीछे किसका हाथ है? पुलिस के उच्चाधिकारियों का दावा है कि ईद-ए-मिलाद-उन-नबी के जुलूस में इस तरह के पोस्टर और बैनर लेकर निकलने की कोई परंपरा नहीं रही है।

खास बात यह है कि 'आई लव मोहम्मद' अभियान की शुरुआत कानपुर से हुई थी। इस सिलसिले में दो दर्जन से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद देश के मुस्लिम बहुल अन्य इलाकों में प्रदर्शनों का सिलसिला शुरू हो गया। बरेली के जिलाधिकारी अविनाश सिंह और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने अलग-अलग पत्रकार वार्ता में आरोप लगाया है कि प्रदेश में हिंसा भड़काने की इस योजना के पीछे विदेशी हाथ हो सकता है। बरेली में हिंसा भड़काने के लिए भारी संख्या में बाहरी लोग बुलाए गए थे और उन्हें हथियार, विस्फोटक पदार्थ व पथराव करने के लिए पत्थर भी उपलब्ध कराए गए थे। इस दौरान दंगाइयों ने पुलिस पर फायरिंग भी की।

रोजनामा सहारा (28 सितंबर) के अनुसार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक कार्यक्रम में कहा कि हम दंगाइयों को ऐसा सबक सिखाएंगे कि उनकी आने वाली पीढ़ियां याद

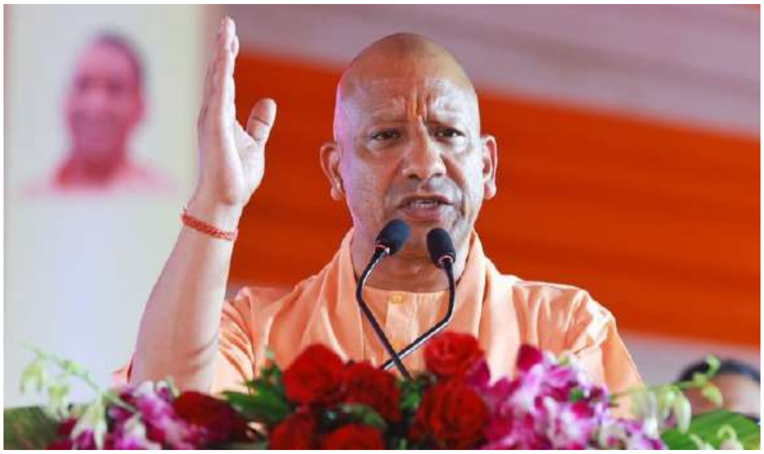

लेकिन ऐन मौके पर मौलाना गायब हो गए। इसके बाद मैदान में जमा भीड़ ने शहर में हिंसा शुरू कर दी। अनेक दुकानों और मकानों को लूटने के बाद उनमें आग लगा दी गई। पुलिस पर हमला किया गया और गोलियां चलाई गईं। पुलिस उप महानिरीक्षक अजय साहनी ने बताया कि भीड़ के साथ हुई झड़पों में 22 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं।

रखेंगी। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि "बरेली में वह मौलाना भूल गया कि राज्य में किसका शासन है। वह धमकी दे रहा था कि हम सड़कें जाम कर देंगे। हमने कहा कि न तो सड़कें जाम होंगी और न ही कर्फ्यू लगेगा।" मुख्यमंत्री योगी ने अपनी सरकार की बुलडोजर नीति का समर्थन करते हुए कहा कि यह नीति माफिया राज को समाप्त करने और राज्य में शांति बनाए रखने के लिए जरूरी है। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और मुस्लिम संगठनों ने मुख्यमंत्री योगी के इस बयान की आलोचना की है। उन्होंने मुख्यमंत्री के इस बयान को नफरती और चिंताजनक बताया है।

रोजनामा सहारा (29 सितंबर) के अनुसार बरेली पुलिस ने राज्य के एक अरबपति बिल्डर फरहत और उसके बेटे फरमान को गिरफ्तार किया है। इन्होंने जुमे की रात मौलाना तौकीर रजा खान को अपने बंगले में पनाह दी थी। इन दोनों पिता-पुत्र पर मौलाना तौकीर का भड़काऊ वीडियो प्रसारित करने का भी आरोप है। इस वीडियो में मौलाना तौकीर ने कहा था कि "अतीक और अशरफ की तरह मुझे भी गोली मार दो। मैं पैगंबर मोहम्मद के नाम पर मरने के लिए तैयार हूं।" उल्लेखनीय है कि मौलाना तौकीर ने घोषणा की थी कि जुमे की नमाज के बाद वे एक भीड़ के साथ इस्लामिया मैदान से जिलाधिकारी के कार्यालय तक जाएंगे और उन्हें एक ज्ञापन देंगे,

एतेमाद (1 अक्टूबर) के अनुसार जिला प्रशासन ने मौलाना तौकीर रजा की आठ अवैध संपत्तियों का पता लगाया है और इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने ताजिम नामक एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। उसने बरेली हिंसा के दौरान पुलिस पर फायरिंग की थी। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने मांग की है कि मौलाना तौकीर और गिरफ्तार किए गए अन्य लोगों को बिना शर्त रिहा किया जाए। बोर्ड के प्रवक्ता सैयद कासिम रसूल इलियास ने कहा कि 'आई लव मोहम्मद' कहना कोई अपराध नहीं है। इस आधार पर किसी भी व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज करना या उसे गिरफ्तार करना बिल्कुल गलत है।

उर्दू टाइम्स (1 अक्टूबर) के अनुसार बरेली नगर निगम ने लगभग 40 संपत्तियां सील की हैं। इन संपत्तियों को बुलडोजर से ध्वस्त करने की तैयारी की जा रही है।

कौमी तंजीम (1 अक्टूबर) के अनुसार जमीयत उलेमा के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने आरोप लगाया है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनकी पुलिस मुसलमानों का उत्पीड़न कर रही है और उनके खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज कर रही है। उन्होंने कहा कि स्थिति को और अधिक बिगड़ने से बचाने के लिए

मौलाना तौकीर रजा और उनके सहयोगियों को तुरंत रिहा किया जाए।

हिंदुस्तान (1 अक्टूबर) के अनुसार जमात-ए-इस्लामी के अमीर सैयद सआदतुल्लाह हुसैनी ने मौलाना तौकीर और उनके सहयोगियों की गिरफ्तारी की निंदा की है। उन्होंने कहा कि इस देश के शासक देश में सांप्रदायिक नफरत की ज्वाला भड़का रहे हैं। हुसैनी ने आरोप लगाया है कि रसूल के प्रेमियों का उत्पीड़न किया जा रहा है और उनके खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं।

हिंदुस्तान (25 सितंबर) के अनुसार जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने देशभर में 'आई लव मोहम्मद' के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान की निंदा की है। उन्होंने मुसलमानों को मशवरा दिया है कि वे अपने न्यायसंगत अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायपालिका की शरण लें।

सियासत (28 सितंबर) के अनुसार वाराणसी में बिना अनुमति के जुलूस निकालने के आरोप में एक दर्जन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। यह मुकदमा हिंदू संगठन हनुमान सेना की शिकायत पर दर्ज किया गया है। इस शिकायत में यह आरोप लगाया गया है कि मुसलमान शहर में जानबूझकर सांप्रदायिक तनाव पैदा कर रहे हैं और गैर-कानूनी जुलूस निकाल रहे हैं।

उर्दू टाइम्स (28 सितंबर) के अनुसार मुंबई पुलिस ने 'आई लव मोहम्मद' का अभियान चलाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का फैसला किया है। समाचारपत्र के अनुसार महाराष्ट्र के परभणी, हैदराबाद, अहमदाबाद और बुरहानपुर में 'आई लव मोहम्मद' का जुलूस निकालने पर मुकदमा दर्ज किया गया है।

उर्दू टाइम्स (24 सितंबर) के अनुसार उत्तराखंड के काशीपुर में ईद-ए-मिलाद-उन-नबी के अवसर पर कुछ लोगों ने 'आई लव मोहम्मद' का पोस्टर व बैनर लेकर जुलूस निकाला तो पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने जुलूस निकालने वालों से बैनर छीन लिया और उन्हें फाड़ दिया। उत्तराखंड के अनेक शहरों में शांति व्यवस्था को बरकरार रखने के लिए धारा 163 लगा दी गई है। पुलिस पर पथराव करने के आरोप में 400 से अधिक लोगों के खिलाफ

मुकदमे दर्ज किए गए हैं। काशीपुर के पुलिस अधीक्षक मणिकांत मिश्रा ने बताया कि अगर कानून तोड़कर जुलूस निकाला जाएगा तो जुलूस निकालने वालों को फौरन गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

उर्दू टाइम्स (30 सितंबर) ने अपने संपादकीय में उत्तर प्रदेश सरकार पर आरोप लगाया है कि वह मुसलमानों को अपना निशाना बना रही है। समाचारपत्र ने चिंता प्रकट की है कि न्यायपालिका, मीडिया और सेक्युलर ताकतें मुसलमानों के उत्पीड़न पर मूकदर्शक बनी हुई हैं। समाचारपत्र ने आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी संवैधानिक स्थिति की परवाह किए बिना मुसलमानों और इस्लाम के खिलाफ लगातार जहर उगल रहे हैं।

उर्दू टाइम्स (27 सितंबर) ने आरोप लगाया है कि सांप्रदायिक सरकार देशभर में रसूल के प्रेमियों का उत्पीड़न कर रही है। इससे देश का सेक्युलर ढांचा खतरे में पड़ गया है।

उर्दू टाइम्स (26 सितंबर) ने अपने संपादकीय में कानपुर में मिलाद-उन-नबी के जुलूस में 'आई लव मोहम्मद' के पोस्टर लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की निंदा की है। समाचारपत्र ने चिंता प्रकट की है कि सांप्रदायिक तत्वों के उकसावे पर हिंदुओं ने भी 'आई लव महादेव' का अभियान शुरू कर दिया है। समाचारपत्र ने आरोप लगाया है कि सरकार जानबूझकर देश में सांप्रदायिक दंगे करवाना चाहती है। समाचारपत्र ने मुसलमानों से अपील की है कि उन्हें चौकन्ना रहना चाहिए और सांप्रदायिक तत्वों के बिछाए जाल में फंसने से बचना चाहिए।

हिंदुस्तान एक्सप्रेस (30 सितंबर) ने अपने संपादकीय में आरोप लगाया है कि सांप्रदायिक शासकों के इशारे पर अमन पसंद मुसलमानों को जुल्मों सितम का निशाना बनाया जा रहा है। समाचारपत्र ने कहा है कि सरकार समाज के सभी वर्गों का संरक्षक होती है, लेकिन वह जानबूझकर एक विशेष समुदाय को हिंसा का निशाना बना रही है और उसके खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज कर रही है।

हिंदुस्तान (29 सितंबर) ने अपने संपादकीय में पूछा है कि देशभर में 'आई लव मोहम्मद' अभियान के खिलाफ नफरत की ज्वाला भड़काने वालों के पीछे किसका हाथ है? वे कौन लोग हैं, जो मुसलमानों को हिंसा का निशाना बना रहे हैं और उन्हें तबाह व बर्बाद करना चाहते हैं?

समाचारपत्र ने मांग की है कि जिन लोगों को 'आई लव मोहम्मद' अभियान के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया है उन्हें बिना शर्त रिहा किया जाए। सरकार व प्रशासन को देश में नफरत की ज्वाला भड़काने के बजाय बुद्धिमता से काम लेना चाहिए और सभी नागरिकों के साथ इंसाफ करना चाहिए।

इसी समाचारपत्र ने अपने एक लेख में दावा किया है कि ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस-ए-मुशावरत ने बरेली के मुसलमानों के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई की निंदा की है। मजलिस-ए-मुशावरत ने मुसलमानों पर आए इस संकट के समाधान के लिए एक अखिल भारतीय अल्पसंख्यक सम्मेलन बुलाने की घोषणा की है।

हिंदुस्तान (28 सितंबर) ने देशभर के मुसलमानों से अपील की है कि वे अपने दुकानों व मकानों पर 'आई लव मोहम्मद' के पोस्टर व बैनर लगाएं ताकि मुसलमानों में अपने न्यायसंगत अधिकारों के लिए लड़ने का हौसला पैदा हो। समाचारपत्र ने कहा है कि हमें दीन के दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब देना होगा।

उर्दू टाइम्स (20 सितंबर) में प्रकाशित एक लेख में कहा गया है कि भारत हिंदू राष्ट्र बन चुका है। अब इस देश के मुसलमान अपने रसूल से मोहब्बत भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसे अपराध करार दे दिया गया है। समाचारपत्र ने कहा है कि हम इसका मुंहतोड़ जवाब देंगे।

उत्तर प्रदेश में 558 मदरसों की जांच पर रोक

उर्दू टाइम्स (24 सितंबर) के अनुसार इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सरकारी अनुदान प्राप्त 558 मदरसों के खिलाफ चल रही आर्थिक अपराध शाखा की जांच पर रोक लगा दी है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के निर्देश पर उत्तर प्रदेश पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने इन मदरसों की जांच शुरू की थी। न्यायमूर्ति सरल श्रीवास्तव और न्यायमूर्ति अमिताभ कुमार राय की खंडपीठ ने

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और शिकायतकर्ता को नोटिस जारी किया है। इस मामले की अगली सुनवाई 17 नवंबर 2025 को होगी। मोहम्मद तल्हा अंसारी नामक व्यक्ति ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को शिकायत की थी कि इन मदरसों में व्यापक पैमाने पर आर्थिक घोटाले किए जा रहे हैं। इस पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने आर्थिक अपराध शाखा के महानिदेशक को पत्र लिखकर इन मदरसों की जांच का निर्देश दिया था। राज्य सरकार को इन आरोपों की जांच करने के बाद इसकी रिपोर्ट आयोग को भेजने का आदेश दिया गया था।

मदरसों के प्रबंधकों का तर्क है कि मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 36(2) के तहत मानवाधिकारों का उल्लंघन की शिकायत के एक वर्ष गुजर जाने के बाद इस पर विचार नहीं किया जा सकता। इसके अतिरिक्त इस अधिनियम की धारा 12(ए) के तहत आयोग प्रभावित लोगों की शिकायत पर ही जांच का निर्देश दे सकता है। उल्लेखनीय है कि टीचर्स एसोसिएशन मदारिस अरबिया और दो अन्य की याचिका में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के 28 फरवरी, 23 अप्रैल और 11 जून, 2025 के उन आदेशों को रद्द करने की मांग की गई थी, जिनमें आर्थिक अपराध शाखा के महानिदेशक को शिकायतकर्ता के आरोपों की जांच करने और उसकी रिपोर्ट आयोग को सौंपने का निर्देश दिया गया था।

इंकलाब (23 सितंबर) के अनुसार मदरसों के प्रबंधकों और अध्यापकों ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा सरकारी अनुदान लेने वाले मदरसों की जांच पर रोक लगाए जाने का स्वागत किया है। इससे पहले उच्च न्यायालय ने एक अन्य याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश जारी किया था कि राज्य सरकार ने मदरसों के अध्यापकों की नियुक्ति पर जो रोक लगाई है वह वैध नहीं है। अदालत के इस फैसले से कामिल और फाजिल की डिग्री प्राप्त अध्यापकों को राहत मिली है। उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार ने इन अध्यापकों की नियुक्ति पर प्रतिबंध लगा दिया था। ऑल इंडिया टीचर्स एसोसिएशन मदारिस-ए-अरबिया के महासचिव वहीदुल्ला खान सईदी का कहना है कि योगी सरकार मदरसों के प्रबंधकों को जानबूझकर परेशान कर रही है ताकि वे तंग आकर अपने मदरसे बंद कर दें। राज्य सरकार के बार-बार हस्तक्षेप करने से छात्रों की पढ़ाई पर बुरा असर पड़ रहा है, क्योंकि बच्चे और अध्यापक गंभीरता से पठन-पाठन नहीं कर पा रहे हैं। उन्हें अपना भविष्य अनिश्चित दिखाई पड़ रहा है।

इंकलाब (2 अक्टूबर) के अनुसार मध्य प्रदेश के भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा ने आरोप लगाया है कि राज्य के मदरसों में धर्मांतरण का अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ये मदरसे नहीं, बल्कि धर्मांतरण के अड्डे हैं। शर्मा ने कहा कि मध्य प्रदेश में सभी मदरसों पर प्रतिबंध लगाया जाए। गौरतलब है कि इससे पहले राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने राज्य सरकार को निर्देश दिया था कि धर्मांतरण के सिलसिले में मदरसों की भूमिका की बारिकी से जांच करवाई जाए। आयोग ने कहा था कि इन मदरसों में पढ़ने वाले हिंदू बच्चों को इस्लाम स्वीकार करने के लिए प्रेरित किया जाता है। इस संदर्भ में 28 सितंबर को पुलिस में एक शिकायत दर्ज करवाई गई थी। इसमें यह आरोप लगाया गया था कि धर्मांतरण के इरादे से मध्य प्रदेश के 27 गैर-मान्यता प्राप्त मदरसों में 556 हिंदू बच्चों का नामांकन करवाया गया है। रामेश्वर शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार धर्मांतरण के इस अभियान को सहन नहीं करेगी। गौरतलब है कि राज्य में धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम, 2021 लागू है। इस कानून में जबरन, धोखे से या प्रलोभन देकर धर्मांतरण करवाने वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई का प्रावधान है।

इस्लामी हुकूमत की साजिश रचने के आरोप में चार आतंकवादी गिरफ्तार

सियासत (1 अक्टूबर) के अनुसार उत्तर प्रदेश आतंकवाद विरोधी दस्ते (यूपीएटीएस) ने दावा किया है कि पाकिस्तान के इशारे पर देश में शरिया पर आधारित इस्लामी हुकूमत स्थापित करने की योजना बनाई गई थी। इस सिलसिले में चार आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया है। इन लोगों ने एक नया आतंकवादी संगठन 'मुजाहिदीन आर्मी' बनाया था। इनकी योजना कई प्रमुख हिंदू नेताओं की हत्या करने और देश में दंगे भड़काने की थी। इनकी पहचान अकमल रजा, सफील सलमानी उर्फ अली रिजवी, मोहम्मद तौसीफ और कासिम अली के रूप में हुई है। इन्हें क्रमशः सुल्तानपुर, सोनभद्र, कानपुर और रामपुर से गिरफ्तार किया गया है। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने दावा किया है कि ये आतंकवादी पाकिस्तान से प्राप्त धनराशि के बल पर अपने गिरोह का विस्तार कर रहे थे और मुस्लिम नौजवानों को देश में इस्लामी हुकूमत स्थापित करने के लिए भड़का रहे थे। बताया जाता है कि इनके तार पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई से जुड़े हैं।

उर्दू टाइम्स (30 सितंबर) के अनुसार गिरफ्तार आतंकवादियों से पूछताछ के दौरान पुलिस को जानकारी मिली है कि उनका इरादा उत्तर प्रदेश और केंद्र की निर्वाचित सरकारों का हिंसा के जरिए तख्ता पलटकर देश में शरिया पर आधारित सरकार स्थापित करना था। उन्होंने इस लक्ष्य से विदेशी हथियार भी प्राप्त किए थे। इन आतंकवादियों ने यह भी स्वीकार किया है कि पाकिस्तान के मार्गदर्शन में वे देश के मुस्लिम युवकों में प्रचार कर रहे थे कि सरकार मुसलमानों का उत्पीड़न कर रही है, इसलिए उसका मुकाबला करने के लिए सशस्त्र संघर्ष करना जरूरी है। इनके कब्जे से आतंकवादी साहित्य और बम बनाने का सामान भी बरामद हुआ है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार इस सिलसिले में और अधिक लोगों के गिरफ्तार किए जाने की संभावना है।

इंकलाब (24 सितंबर) के अनुसार उत्तर प्रदेश एटीएस ने गाजा के पीड़ितों के नाम पर फंड इकट्ठा करने के आरोप में तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। उन पर देश के विभिन्न हिस्सों से दो करोड़ रुपये इकट्ठा करने का आरोप है। एटीएस ने महाराष्ट्र के भिवंडी से मोहम्मद अयान, अबू सूफियान और जैद नोटियार को गिरफ्तार किया है। उत्तर प्रदेश एटीएस को संदेह है कि आरोपी इकट्ठा की गई इस धनराशि का इस्तेमाल देशभर में हिंसा की ज्वाला भड़काने के लिए

करना चाहते थे। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। पुलिस को यह जानकारी मिली है कि इन्होंने कुछ धनराशि ऐसे संदिग्ध बैंक खातों में हस्तांतरित की थी, जिनका इस्तेमाल देश में आतंकवाद की ज्वाला भड़काने के लिए होता रहा है। पुलिस के अनुसार इस गिरोह का प्रमुख मोहम्मद अयान है। इन तीनों ने विभिन्न बैंकों में खाते खोल रखे हैं, जिनमें हाल ही में अज्ञात स्रोतों से मोटी धनराशि हस्तांतरित की गई थी। इस पर बैंक अधिकारियों ने इन खातों में लेनदेन करने पर रोक लगा दी थी और पुलिस को सूचित किया था। इसके बाद पुलिस ने इसकी जांच शुरू कर दी। जांच के बाद इन तीनों को गिरफ्तार किया गया है।

स्कूली पाठ्यक्रम में आरएसएस से जुड़े अध्याय शामिल करने पर विवाद

इंकलाब (2 अक्टूबर) के अनुसार दिल्ली सरकार ने राज्य के सरकारी स्कूलों के पाठ्यक्रम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उसके कुछ नेताओं को शामिल करने की घोषणा की है। सरकारी सूत्रों के अनुसार इस पाठ्यक्रम में आरएसएस की उत्पत्ति और इतिहास, इसकी विचारधारा, स्वतंत्रता संग्राम में आरएसएस का योगदान और प्राकृतिक आपदाओं में स्वयंसेवकों की भागीदारी पर विस्तृत प्रकाश डाला जाएगा। राज्य के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने कहा है कि यह कदम छात्रों में नागरिक कर्तव्य और सामाजिक जिम्मेवारी की भावना पैदा करने के लिए उठाया गया है। उन्होंने कहा कि पाठ्यक्रम में वीर सावरकर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, सरदार वल्लभभाई पटेल और नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़े विशेष अध्याय भी शामिल होंगे।

दूसरी ओर, कांग्रेस की छात्रा शाखा नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया (एनएसयूआई) ने राज्य सरकार के इस फैसले की आलोचना की है। एनएसयूआई ने मांग की है कि इस पाठ्यक्रम में यह भी उल्लेख किया जाना चाहिए कि आरएसएस ने भारतीय संविधान व राष्ट्रीय ध्वज का विरोध किया था और महात्मा गांधी का हत्यारा नाथूराम गोडसे आरएसएस से जुड़ा था। एनएसयूआई ने यह भी आरोप लगाया है कि संघ की नीतियां दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों और महिलाओं के खिलाफ रही हैं। वीर सावरकर को पाठ्यक्रम में हीरो के तौर पर शामिल किया जा रहा है। उन्होंने अंग्रेजों से माफी मांगी थी और उनसे पेंशन भी ली थी। संघ की भूमिका देश में सांप्रदायिक दंगे भड़काने और समाज को विभाजित करने तक सीमित रही है। एनएसयूआई के अध्यक्ष वरुण चौधरी ने आरोप लगाया है कि भाजपा सरकार भले ही अपनी सत्ता का लाभ उठाकर आरएसएस को हीरो बना दे, लेकिन वह देश के इतिहास को बदल नहीं सकती। देश के स्वतंत्रता संग्राम में महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल और नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भाग लिया था। जबकि आरएसएस लोकतंत्र और समता

विरोधी रहा है। चौधरी ने कहा कि उनका संगठन सरकारी स्कूलों के बाहर प्रदर्शन करेगा और सरकार के इस फैसले का विरोध करेगा।

इंकलाब (3 अक्टूबर) के अनुसार वामपंथी संगठन डेमोक्रेटिक यूथ फेडरेशन ऑफ इंडिया (डीवाईएफआई) ने दिल्ली सरकार के इस फैसले की निंदा की है। डीवाईएफआई ने दिल्ली सरकार पर आरोप लगाया है कि उसके इस फैसले से देश की नई पीढ़ी में नफरत की भावना भड़केगी। इस संगठन ने घोषणा की है कि राज्य सरकार के इस फैसले के खिलाफ जनमत जागृत करने के लिए स्कूलों व कॉलेजों में प्रदर्शन किए जाएंगे।

इंकलाब (4 अक्टूबर) के अनुसार दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने कहा कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति की आड़ में दिल्ली के सरकारी स्कूलों में आरएसएस की विचारधारा को थोपने का फैसला बेहद खतरनाक है। राज्य सरकार बच्चों के दिमाग में संघ के प्रति निष्ठा की भावना भरना चाहती है। यह एक सुनियोजित अभियान का हिस्सा है। कांग्रेस इस प्रयास का विरोध करेगी। उन्होंने कहा कि सरकार के इस फैसले के खिलाफ एक विशाल प्रदर्शन का आयोजन किया जाएगा।

जेल से आजम खान की रिहाई

इंकलाब (24 सितंबर) के अनुसार समाजवादी पार्टी के नेता मोहम्मद आजम खान 23 महीने के बाद सीतापुर जेल से रिहा हो गए हैं। सीतापुर जिला प्रशासन ने आजम खान की रिहाई से पहले धारा 163 लगा दी थी। इस धारा के तहत चार से अधिक लोगों के एक साथ एकत्रित होने, जुलूस निकालने या प्रदर्शन करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। गौरतलब है कि राज्य सरकार ने आजम खान के खिलाफ 72 मुकदमे दर्ज किए थे। इनमें भूमि पर अवैध कब्जा, लूटपाट, डकैती और धोखाधड़ी जैसे गंभीर आरोप शामिल हैं। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता शिवपाल सिंह यादव ने आजम खान की रिहाई पर खुशी जाहिर करते हुए कहा है कि उन्हें राजनीतिक कारणों से झूठे मुकदमे में फंसाया गया था। समाजवादी पार्टी ने इसे इंसाफ की जीत करार दिया है। जेल से रिहा होने के बाद आजम खान ने पत्रकारों से संक्षिप्त बात की और उनके कई सवालों का जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि मेरे खिलाफ साजिश हुई है और यह सभी लोग जानते हैं। मैं इस संदर्भ में कुछ भी नहीं कहना चाहता। जेल में

रहने के कारण मेरा स्वास्थ्य खराब हो गया है। उन्होंने कहा कि मैं सबसे पहले अपना इलाज करवाने पर ध्यान दूंगा।

उर्दू टाइम्स (29 सितंबर) के अनुसार पत्रकार शाहिद सिद्दीकी ने सोशल मीडिया पर अपने एक पोस्ट में आरोप लगाया है कि आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को खाने में धीमा जहर दिया जा रहा था। शाहिद सिद्दीकी ने कहा कि आजम खान ने उनसे कहा है कि वे किसी नई पार्टी में शामिल नहीं होंगे।

अखबार-ए-मशरिक (26 सितंबर) ने अपने संपादकीय में आरोप लगाया है कि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने आजम खान को बदले की भावना के तहत झूठे मुकदमे में फंसाया है। हैरानी की बात है कि आजम खान के खिलाफ किताबें चोरी करने के आरोप में भी एक मुकदमा दर्ज किया गया है। समाचारपत्र ने आरोप लगाया है कि उत्तर प्रदेश सरकार मुसलमानों को परेशान करके उनके हौसले को तोड़ना चाहती है, इसलिए आजम खान को निशाना बनाया गया है।

हिंदुस्तान एक्सप्रेस (24 सितंबर) ने अपने संपादकीय में कहा है कि राज्य सरकार जानबूझकर आजम खान को परेशान कर रही है ताकि वे मुसलमानों के अधिकारों के लिए आवाज बुलंद करना छोड़ दें। समाचारपत्र ने कहा है कि आजम खान का पांच साल तक जेल और बेल से वास्ता रहा है। उन्हें पहली बार 2020 में गिरफ्तार किया गया था। एक मुकदमे में रिहाई होती थी तो उन्हें दूसरे मुकदमे में फंसा दिया जाता था। इसी तरह से उनके बेटे और पत्नी पर भी मुकदमे दर्ज किए गए। आजम खान को एक लंबी अवधि के बाद जेल से रिहाई मिली है। देखना यह है कि कब तक वे जेल से बाहर रह पाते हैं।

सियासत (24 सितंबर) ने अपने संपादकीय में आरोप लगाया है कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने आजम खान के खिलाफ दर्जनों मुकदमे दर्ज किए थे। हद तो यह है कि उनके पूरे परिवार को जलील किया गया। आजम खान के खिलाफ मुर्गी चोरी, भैंस चोरी और किताबों की चोरी के आरोप में मुकदमे दर्ज किए गए। समाचारपत्र ने कहा है कि भले ही मुकदमों और जेल के कारण आजम खान का स्वास्थ्य खराब हो गया हो, लेकिन उनके हौसले चट्टान की तरह हैं। वे सांप्रदायिक ताकतों के विरोध में हमेशा खड़े रहे हैं और अंत तक खड़े रहेंगे।

मुंसिफ (24 सितंबर) के अनुसार राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्या ने आरोप लगाया है कि इस नाजुक घड़ी में किसी ने भी आजम खान का साथ नहीं दिया। वे 10 बार उत्तर प्रदेश विधानसभा के विधायक रहे हैं। इसके अतिरिक्त वे लोकसभा और राज्यसभा के भी सदस्य रहे हैं। भाजपा ने उनके साथ जो व्यवहार किया है उससे उसकी घटिया मानसिकता का पता चलता है।

बांग्लादेश को इस्लामी राष्ट्र घोषित करने की तैयारी

उर्दू टाइम्स (26 सितंबर) के अनुसार मोहम्मद यूनुस सरकार ने बांग्लादेश को इस्लामिक राष्ट्र घोषित करने के तैयारी शुरू कर दी है। बांग्लादेश की वर्तमान सरकार पर इस्लामिक कट्टरपंथियों का दबाव है। इसके अतिरिक्त पाकिस्तान और अन्य मुस्लिम देश सरकार पर बांग्लादेश को इस्लामिक राष्ट्र घोषित करने का दबाव डाल रहे हैं। हाल ही में इस संदर्भ में तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान ने बांग्लादेश के कार्यवाहक प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस से बातचीत की थी। शेख हसीना सरकार के पतन के बाद बांग्लादेश की कट्टरपंथी पार्टी जमात-ए-इस्लामी सक्रिय हो गई है। इस पार्टी के तार पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं। शेख हसीना की सरकार के समय जमात-ए-इस्लामी पर प्रतिबंध लगाया गया था और उसे गैर-कानूनी संगठन घोषित किया गया था। बांग्लादेश मुक्ति संग्राम में जमात-ए-इस्लामी ने पाकिस्तान का खुलकर समर्थन किया था। हाल ही में बांग्लादेश में आईएसआईएस, अलकायदा और हिज्ब उत-तहरीर जैसे इस्लामिक आतंकवादी संगठनों के कार्यालय स्थापित किए गए हैं।

उर्दू टाइम्स (18 सितंबर) के अनुसार बांग्लादेश में इन दिनों अमेरिकी सेना का एक विशेष समूह सक्रिय है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 10 सितंबर को अमेरिकी सेना और वायुसेना के 120 अधिकारी चटगांव पहुंचे थे। उनके लिए रेडिसन ब्लू होटल में पहले से ही 85 कमरे बुक कराए गए थे। अजीब बात है कि इस होटल के गेस्ट रजिस्टर में उसमें रूकने वाले किसी भी अमेरिकी अधिकारी का नाम दर्ज नहीं है। इसके अतिरिक्त 14 सितंबर को मिस्र की वायुसेना का एक विशेष विमान चटगांव के शाह अमानत अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरा था। इन अमेरिकी सैनिकों ने बांग्लादेश के पटेंगा एयरबेस का भी दौरा किया।

उर्दू टाइम्स (21 सितंबर) के अनुसार ढाका विश्वविद्यालय छात्र संघ के चुनाव में जमात-ए-इस्लामी को भारी सफलता मिली है। जबकि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी को मुंह की खानी पड़ी है। बांग्लादेशी अखबार 'प्रोथोम अलो' के अनुसार इस चुनाव में जमात-ए-इस्लामी के छात्र विंग बांग्लादेश इस्लामी छात्र शिबिर के उम्मीदवारों ने 28 में से 23 पदों पर जीत दर्ज की है। इससे पहले कभी भी ढाका विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में जमात-ए-इस्लामी को इतनी बड़ी सफलता नहीं मिली थी।

उर्दू टाइम्स (1 अक्टूबर) के अनुसार यूरोपीय यूनियन ने फरवरी 2026 में बांग्लादेश में होने वाले संसदीय चुनाव में 150 चुनाव पर्यवेक्षक भेजने की योजना बनाई है। इसके लिए यूरोपीय यूनियन ने बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय और चुनाव आयोग के साथ त्रिपक्षीय समझौते का प्रस्ताव पेश किया है। बांग्लादेश में ब्रिटेन की उच्चायुक्त सारा कुक ने कहा कि ब्रिटेन बांग्लादेश चुनाव आयोग को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए हर संभव सहायता देगा।

उर्दू टाइम्स (26 सितंबर) के अनुसार बांग्लादेश में संभावित संसदीय चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग के चुनाव चिन्ह नाव की मान्यता रद्द कर दी गई है। गौरतलब है कि बांग्लादेश में पिछला आम चुनाव 2021 में हुआ था। इस चुनाव में हसीना की पार्टी अवामी लीग को भारी सफलता मिली थी। बांग्लादेश चुनाव आयोग ने 115 चुनाव चिन्हों की सूची जारी की है। इस समय बांग्लादेश चुनाव आयोग में 50 राजनीतिक दल पंजीकृत हैं। जबकि पांच राजनीतिक दलों का पंजीकरण रद्द या निलंबित किया जा चुका है। जमात-ए-इस्लामी तराजू चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ रही है।

उर्दू टाइम्स (30 सितंबर) के अनुसार बांग्लादेश के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में आदिवासियों और बंगालियों के बीच खूनी झड़पें शुरू हो गई हैं। इन झड़पों में तीन लोग मारे गए और कई घायल हो गए। झड़प की शुरुआत एक आदिवासी छात्रा के साथ सामूहिक बलात्कार की घटना से हुई। यह घटना बांग्लादेश के चटगांव डिवीजन के खगराचारी जिले में हुई।

हिंदुस्तान (19 सितंबर) के अनुसार बांग्लादेश चुनाव आयोग ने शेख हसीना और उनके परिवारजनों के मतदाता पहचान पत्र रद्द कर दिए हैं। राष्ट्रीय पहचान पंजीकरण विंग के महानिदेशक एएसएम हुमायूं कबीर ने पत्रकारों को बताया कि शेख हसीना, शेख रेहाना सिद्दीकी, सजीब वाजेद जॉय, साइमा वाजेद, शहनाज सिद्दीकी, बुशरा सिद्दीकी, ट्यूलिप रिजवाना सिद्दीकी, अजमीरा सिद्दीकी, राडवान मुजीब सिद्दीकी और तारिक अहमद सिद्दीकी के मतदाता पहचान पत्र रद्द कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि अदालतों में इन लोगों के खिलाफ देशद्रोह के मुकदमे विचाराधीन हैं।

बगराम एयरबेस को अमेरिका को सौंपने से तालिबान का इनकार

एतेमाद (22 सितंबर) के अनुसार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने अफगानिस्तान की तालिबान सरकार से मांग की थी कि वह बगराम एयरबेस को फिर से अमेरिका के हवाले कर दे। इस पर टिप्पणी करते हुए अफगानिस्तान के रक्षा मंत्री मोहम्मद याकूब मुजाहिद ने कहा है कि हम अमेरिका या अन्य किसी विदेशी सरकार को एक इंच भी भूमि नहीं देंगे। हम अपनी भूमि की रक्षा

के लिए अगले 20 सालों तक लगातार युद्ध लड़ने के लिए तैयार हैं। गौरतलब है कि अफगानिस्तान के रक्षा मंत्री मुल्ला याकूब अफगानिस्तान के इस्लामिक अमीरात के संस्थापक मुल्ला उमर मुजाहिद के बेटे हैं।

मुल्ला याकूब ने कहा कि हम अपने देश और अपनी सीमाओं की रक्षा करना बखूबी जानते हैं। अफगान बुजदिल नहीं हैं। अफगानिस्तान के विदेश मंत्रालय के द्वितीय राजनीतिक निदेशक मोहम्मद जाकिर जलाली ने कहा है कि अफगान सरकार अमेरिकी राष्ट्रपति की इस मांग को सिरे से खारिज करती है। हम बगराम एयरबेस या फिर अफगानिस्तान की एक इंच भी भूमि किसी विदेशी सरकार को सौंपने की कल्पना तक नहीं कर सकते। अमेरिका या किसी अन्य देश से इस मुद्दे पर बातचीत करने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। हम अफगानिस्तान की आजादी और अखंडता के लिए कटिबद्ध हैं।

उल्लेखनीय है कि पिछले सप्ताह अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प ने अफगानिस्तान की तालिबान सरकार से मांग की थी कि वह बगराम एयरबेस को फिर से अमेरिका के हवाले कर दे। अगर तालिबान सरकार ने ऐसा नहीं किया तो उसे इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। उन्होंने यह भी दावा किया कि हम इस पर तालिबान सरकार से बातचीत कर रहे हैं। हम इसे जल्द से जल्द वापस लेना चाहते हैं। चीन सरकार के प्रवक्ता ने अमेरिकी राष्ट्रपति की धमकी की निंदा करते हुए कहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति अफगानिस्तान सरकार को ब्लैकमेल कर रहे हैं। चीन इस मामले में पूरी तरह से अफगानिस्तान के साथ खड़ा है।

गौरतलब है कि बगराम अफगानिस्तान का सबसे बड़ा एयरबेस है। अमेरिकी सेना यहां से तालिबान के खिलाफ युद्ध का संचालन करती थी। जुलाई 2021 में अमेरिकी सेना ने अचानक इस महत्त्वपूर्ण सैन्य हवाई अड्डे को खाली कर दिया था। इस एयरबेस पर 10 हजार से अधिक अमेरिकी सैनिक अत्याधुनिक मिसाइल प्रणाली के साथ तैनात थे। अमेरिकी विशेषज्ञों का कहना है कि इस अत्याधुनिक एयरबेस का संचालन करना या उसकी देखभाल करना अफगान सरकार के बस में नहीं है। कतर पर इजरायली हमले के कारण अब अमेरिका का यह प्रयास है कि वह किसी भी तरीके से बगराम एयरबेस को अपने नियंत्रण में ले ले, क्योंकि अमेरिकी सेना इस एयरबेस का इस्तेमाल ईरान, रूस और चीन के खिलाफ कर सकती है।

पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच रक्षा समझौता

इंकलाब (19 सितंबर) के अनुसार पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच एक अहम रक्षा समझौता हुआ है। इस समझौते के तहत अगर दोनों देशों में से किसी पर भी विदेशी हमला होता है तो इसे दोनों देशों पर हमला माना जाएगा और दोनों देश मिलकर हमलावर देश के खिलाफ सैन्य कार्रवाई करेंगे। पाकिस्तान और सऊदी अरब के नेताओं ने इस समझौते को ऐतिहासिक बताया है। सरकारी सूत्रों के अनुसार सऊदी युवराज मोहम्मद बिन सलमान और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने सऊदी अरब की राजधानी रियाद में इस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह

समझौता इजरायल द्वारा कतर की राजधानी दोहा स्थित हमास के कार्यालय पर किए गए हमले के बाद हुआ है। इस हमले के बाद से अरब देशों में चिंता व्याप्त है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनसार इस समझौते पर हस्ताक्षर के समय पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर भी मौजूद थे।

इस समझौते पर टिप्पणी करते हुए भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि भारत अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ-साथ क्षेत्रीय और वैश्विक स्थिरता पर इस घटनाक्रम के प्रभावों का अध्ययन करेगा। उन्होंने कहा कि हमने सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच एक रणनीतिक पारस्परिक रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर की खबरें देखी हैं। भारत सरकार को यह जानकारी थी कि इस समझौते पर दोनों देशों में बातचीत चल रही है।

उर्दू टाइम्स (19 सितंबर) के अनुसार सऊदी अरब की मीडिया ने इस समझौते का स्वागत करते हुए कहा है कि दोनों देश मिलकर इस्लाम पर आए किसी भी खतरे का मुंहतोड़ जवाब देंगे। अमेरिका में पाकिस्तान के पूर्व राजदूत हुसैन हक्कानी ने कहा है कि पाकिस्तान अब सऊदी अरब की आर्थिक सहायता से विश्वभर के अत्याधुनिक हथियार खरीद सकता है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि इस समझौते में परमाणु हथियारों का इस्तेमाल भी शामिल है।

एतेमाद (20 सितंबर) ने अपने संपादकीय में इस समझौते पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि हाल ही में कतर पर हुए इजरायली हमले के बाद मुस्लिम देशों के लिए खतरा बढ़ गया है। अभी तक ये देश अपनी सुरक्षा के लिए अमेरिका पर निर्भर थे, लेकिन हाल के घटनाक्रम से यह स्पष्ट हो गया है कि अब अमेरिका की सुरक्षा गारंटी की कोई कीमत नहीं रह गई है। यही कारण है कि सऊदी अरब को इस क्षेत्र में एक नए सहयोगी की तलाश करनी पड़ी है। पाकिस्तान एक परमाणु संपन्न देश होने के कारण सऊदी अरब की रक्षा के लिए महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। हालांकि, यह समझौता भविष्य में भारत को पाकिस्तान पर हमला करने से नहीं रोक पाएगा, लेकिन फिर भी इससे पाकिस्तान की स्थिति मजबूत हुई है। इस समझौते के बाद सऊदी अरब पाकिस्तान में रक्षा और अन्य क्षेत्रों में भारी पूंजी निवेश करेगा।

समाचारपत्र ने कहा है कि सऊदी अरब के पास युद्ध लड़ने की क्षमता पाकिस्तान जैसी नहीं है। हाल के घटनाक्रम से यह साबित हो गया है कि सभी तरह के साधन होने के बावजूद खाड़ी देश युद्ध लड़ने की क्षमता नहीं रखते हैं। सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच सैन्य सहयोग कोई नई बात नहीं है। सऊदी सेना पाकिस्तान में प्रशिक्षण लेती रही है। आज भी सऊदी अरब की शाही खानदान की सुरक्षा की जिम्मेवारी पाकिस्तानी सेना निभा रही है। इस समझौते से भारत और इजरायल दोनों के लिए चिंता होना स्वाभाविक है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच हुए इस समझौते के बाद यह सवाल पैदा होता है कि क्या वास्तव में एक देश पर हमला दूसरे देश पर हमला माना जाएगा? अगर ऐसा हुआ तो दोनों देश एक दूसरे की किस तरह सहायता

करेंगे? पाकिस्तान की भारत के साथ पुरानी दुश्मनी है। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर भारत पाकिस्तान पर हमला करता है तो क्या सऊदी अरब अपनी सेना पाकिस्तान भेजेगा?

सियासत (20 सितंबर) ने इस समझौते पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि दोनों देश स्वतंत्र हैं और उन्हें आपस में समझौता करने का पूरा अधिकार है। दुनिया जानती है कि पाकिस्तान के साथ भारत के संबंध तनावपूर्ण हैं। हालांकि, भारत और सऊदी अरब के संबंध प्रारंभ से ही मैत्रीपूर्ण रहे हैं। दोनों देशों के बीच मजबूत व्यापारिक संबंध हैं। लाखों भारतीय सऊदी अरब में नौकरी कर रहे हैं। पाकिस्तान और सऊदी अरब के आपसी संबंध भी बेहद मजबूत रहे हैं, लेकिन सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ अपने संबंधों को ज्यादा महत्व दिया है। इस समझौते का क्षेत्रीय संतुलन पर भी प्रभाव पड़ सकता है। सऊदी अरब ने भले ही पाकिस्तान के साथ समझौते पर हस्ताक्षर कर लिए हैं, लेकिन उसे यह सुनिश्चित करने की जरूरत है कि पाकिस्तान के साथ उसके संबंध भारत के साथ संबंधों की कीमत पर नहीं होने चाहिए। इस समझौते से भारत और सऊदी अरब के संबंधों में कोई रुकावट या समस्या पैदा नहीं होनी चाहिए। पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान भारत विरोधी गतिविधियों में लगा हुआ है। पाकिस्तान की यह रणनीति सफल न हो इसे सुनिश्चित करने के लिए सऊदी शासकों को सतर्क रहने की जरूरत है।

ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मसूद अजहर के पूरे परिवार के मारे जाने की पुष्टि

उर्दू टाइम्स (17 सितंबर) के अनुसार पाकिस्तानी आतंकवादी संगठन जैश-ए-मोहम्मद ने पहली बार यह स्वीकार किया है कि भारत द्वारा चलाए गए 'ऑपरेशन सिंदूर' के दौरान कई आतंकवादी हमलों के मास्टरमाइंड मौलाना मसूद अजहर का पूरा परिवार मारा गया था। पाकिस्तानी मीडिया में जैश के कमांडर मसूद इलियास कश्मीरी का एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें कहा गया है कि 7 मई को बहावलपुर में जैश-ए-मोहम्मद के मुख्यालय पर हुए भारतीय हवाई हमले में मसूद अजहर के परिवार के 10 लोग और चार सहयोगी मारे गए थे। मरने वालों में मसूद अजहर की बड़ी बहन और बहनोई, मसूद अजहर का भांजा व उसकी पत्नी और मसूद की भांजी और उसके पांच बच्चे शामिल थे। इसके अतिरिक्त भारतीय हमले में मसूद अजहर के चार सहयोगी भी मारे गए थे।

आतंकवादियों की सूची में डाल दिया था। भारत का आरोप है कि पाकिस्तानी सेना ने मसूद अजहर को सुरक्षा दे रखी है।

कौमी भारत (19 सितंबर) के अनुसार जैश-ए-मोहम्मद के कमांडर इलियास कश्मीरी ने यह भी दावा किया है कि पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर ने भारत के 'ऑपरेशन सिंदूर' में मारे गए आतंकवादियों के अंतिम संस्कार में वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों को मौजूद रहने का निर्देश दिया था। पाकिस्तानी सेना मुख्यालय द्वारा जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार आसिम मुनीर ने कहा था कि इस हमले में मरने वाले सभी लोग 'कौमी शहीद' माने जाएंगे और देशभर में तीन दिन का राष्ट्रीय शोक मनाया जाएगा। मुनीर ने पाकिस्तान के कोर कमांडरों को भी निर्देश दिया था कि वे नियमित वर्दी पहनकर आतंकवादियों के अंतिम संस्कार में शामिल हों। इतना ही नहीं वे अंतिम संस्कार में शामिल लोगों को सुरक्षा भी प्रदान करें ताकि भारतीय हमले से उनकी रक्षा की जा सके।

वीडियो में कहा गया है कि अपने पूरे परिवार में सिर्फ मसूद अजहर ही जीवित बचा है। जैश-ए-मोहम्मद का मुख्यालय बहावलपुर के मस्जिद सुभान अल्लाह में स्थित है। समाचारपत्र के अनुसार 2011 तक इस परिसर में सिर्फ एक मस्जिद हुआ करती थी। बाद में पाकिस्तानी सेना की सहायता से 18 एकड़ के इस क्षेत्र में आतंकी प्रशिक्षण शिविर और हेलीपैड विकसित किया गया था।

बीबीसी उर्दू की एक रिपोर्ट के मुताबिक आतंकी मसूद अजहर ने कहा था कि अगर भारतीय हमले में उसकी भी मौत हो जाती तो वह भाग्यशाली होता। गौरतलब है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने पाकिस्तान स्थित नौ आतंकी शिविरों को अपना निशाना बनाया था। भारतीय वायुसेना ने मुरीदके स्थित इस्लामिक आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के मुख्यालय पर भी हमला करके उसे तबाह कर दिया था। इस हमले में कम-से-कम 40 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हुई थी। फरवरी 2019 में पुलवामा हमले की जिम्मेवारी जैश-ए-मोहम्मद ने ली थी। भारत की मांग पर संयुक्त राष्ट्र ने मसूद अजहर को वैश्विक

समाचारपत्र का कहना है कि आसिम मुनीर के इस आदेश से पुष्टि होती है कि पाकिस्तानी सेना और आतंकवादी संगठनों के बीच मिलीभगत है। उल्लेखनीय है कि जब भारतीय हमले में मारे गए आतंकवादियों के अंतिम संस्कार में पाकिस्तानी सेना के उच्चाधिकारियों के शामिल होने का वीडियो वायरल हुआ था तो पाकिस्तानी सेना ने इस वीडियो को फर्जी करार दिया था। अब आतंकी इलियास कश्मीरी के वायरल वीडियो ने पाकिस्तानी सेना और सरकार की पोल खोल दी है।

पाकिस्तान में विद्रोही सक्रिय

इस्लामिक आतंकवादियों के जनक पाकिस्तान को अब अपनी ही लगाई आग में जलना पड़ रहा है। पाकिस्तानी सेना ने पिछले एक सप्ताह से खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में कर्फ्यू लगा रखा है। इससे देश के एक बड़े हिस्से का आवागमन ठप हो गया है। इसके अतिरिक्त इंटरनेट और मोबाइल सेवाएं भी बंद कर दी गई हैं। ताजा समाचारों के अनुसार पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में भी जनाक्रोश भड़क उठा है। अवामी एक्शन कमेटी के उग्र आंदोलन के कारण पिछले चार दिनों में एक दर्जन पाकिस्तानी सुरक्षाकर्मी और 16 नागरिक मारे जा चुके हैं। बीबीसी उर्दू के अनुसार पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में स्थिति विस्फोटक हो चुकी है। बीबीसी के संवाददाता ने रावलपिंडी के सैन्य अस्पताल में 100 से अधिक पुलिस और सुरक्षाकर्मियों के घायलावस्था में दाखिल किए जाने की पुष्टि की है। अवामी एक्शन कमेटी के अध्यक्ष शौकत नवाज मीर ने बताया कि पाकिस्तानी रेंजरों की गोली से कम-से-कम 16 कश्मीरी नागरिक मारे गए हैं और 200 से अधिक घायल हुए हैं। उन्होंने घोषणा की है कि जब तक उनकी मांग नहीं मानी जाती तब तक कश्मीर बंद का अभियान जारी रहेगा।

पाकिस्तानी अखबार **डॉन** (20 सितंबर) के अनुसार खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में आतंकवादियों के खिलाफ सैन्य अभियान जारी है। इस अभियान के तहत अब तक 175 आतंकवादी मारे जा चुके हैं और 500 से अधिक आतंकवादियों को हिरासत में ले लिया गया है। सैन्य प्रवक्ता ने पुष्टि की है कि इस अभियान को सुचारू रूप से चलाने के लिए पूरे खैबर पख्तूनख्वा व बलूचिस्तान में कर्फ्यू लगा दिया गया है और इंटरनेट एवं मोबाइल सेवाएं बंद कर दी गई हैं।

सहाफत (23 सितंबर) के अनुसार पंजाब पुलिस के आतंकवाद निरोधी विभाग (सीडीटी) ने पिछले तीन महीने में आतंकवादियों की तलाश में 940 छापे मारे। इस अभियान के दौरान 125 आतंकवादी मारे गए और 89 गिरफ्तार किए गए। इस संगठन के प्रवक्ता के अनुसार गिरफ्तार किए गए आतंकवादियों के तार विदेशों से पाए गए हैं। लाहौर और रावलपिंडी से 28 आतंकवादियों को

गिरफ्तार किया गया है। इसके अतिरिक्त फैसलाबाद और बहावलपुर से सात-सात, झंग और सरगोधा से 12, साहीवाल से पांच, गुजरांवाला से चार, गुजरात और बहावलनगर से छह आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया है। इनके कब्जे से विस्फोटक पदार्थ, डेटोनेटर, नकदी, कंप्यूटर और अन्य सामग्री जब्त की गई है। पाकिस्तान में आतंकवाद विरोधी अभियान के तहत पिछले तीन महीने में 13,521 तलाशी अभियान चलाए गए, जिनमें 1131 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया।

बीबीसी (25 सितंबर) के अनुसार पाकिस्तानी सैन्य मुख्यालय के प्रवक्ता ने बताया कि खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में सघन खोजी अभियान जारी है। इस अभियान में काफी संख्या में आतंकवादी पकड़े गए हैं। इन आतंकवादियों का संबंध तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी (बीएलए) आदि संगठनों से बताया जा रहा है। इनके कब्जे से भारी मात्रा में विदेशी हथियार और विस्फोटक बरामद हुए हैं।

कौमी भारत (1 अक्टूबर) के अनुसार बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा स्थित फ्रंटियर कोर के मुख्यालय के नजदीक हुए एक आत्मघाती हमले में कम-से-कम 10 लोग मारे गए और 30 से अधिक घायल हो गए। इस हमले में दो आतंकवादी भी मारे गए हैं। सरकार ने पूरे बलूचिस्तान में आपातकाल की घोषणा की है। अब तक किसी भी संगठन ने इस हमले की जिम्मेवारी नहीं ली है।

चट्टान (23 सितंबर) के अनुसार खैबर पख्तूनख्वा की तिराह घाटी में आतंकवादियों के बारूद के भंडार में हुए धमाके में 24 लोग मारे गए। मरने वालों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं।

चट्टान (24 सितंबर) के अनुसार खैबर पख्तूनख्वा के तिराह घाटी में पाकिस्तानी वायुसेना के हवाई हमले में 30 से अधिक लोग मारे गए। इस घटना पर टिप्पणी करते हुए खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि हम पाकिस्तानी सेना को हमला करने से नहीं रोक सकते, क्योंकि संविधान के अनुसार हमारी शक्तियां सीमित हैं। हम सेना के मामलों में किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं कर सकते। गंडापुर ने पाकिस्तानी सेना के हमले में मरने वाले लोगों के परिवारजनों को एक-एक करोड़ रुपये मुआवजा देने की घोषणा की है।

गाजा में युद्धविराम हेतु ट्रम्प की 20 सूत्री योजना

कौमी भारत (1 अक्टूबर) के अनुसार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने गाजा में युद्ध की समाप्ति और स्थाई शांति के लिए 20 सूत्री योजना की घोषणा की है। इस योजना में 72 घंटे में सभी बंधकों की रिहाई, हमास का नि:शस्त्रीकरण और गाजा पट्टी के लिए एक कार्यकारी शासन निकाय स्थापित करने जैसे बिंदु भी शामिल हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भी इस योजना का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि यह योजना फिलिस्तीनी और इजरायली लोगों के साथ-साथ पूरे पश्चिम एशियाई क्षेत्र के लिए शांति, सुरक्षा और विकास का रास्ता प्रदान करेगी। मोदी ने उम्मीद जताई कि सभी संबंधित पक्ष ट्रम्प की इस पहल का समर्थन करेंगे। समाचारपत्र ने कहा है कि ट्रम्प की इस 20 सूत्री योजना में गाजा में प्रशासन चलाने के लिए एक अस्थाई बोर्ड बनाने का भी प्रस्ताव है। ट्रम्प इस बोर्ड की अध्यक्षता करेंगे और इसमें ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर भी होंगे।

इंकलाब (1 अक्टूबर) के अनुसार डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा कि अगर दोनों पक्ष इस योजना को स्वीकार कर लेते हैं तो युद्धविराम लागू हो जाएगा, लेकिन क्या इससे इस क्षेत्र में स्थाई शांति स्थापित हो सकेगी इस पर अभी कुछ भी कहना संभव नहीं है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिका से लौटने के बाद कहा कि हमने तो इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है, लेकिन हमास इसके लिए तैयार नहीं है। अगर ऐसी स्थिति बनती है तो हम हमेशा के लिए गाजा के युद्ध की जड़ को ही खत्म कर देंगे। नेतन्याहू ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति से उनकी मुलाकात में अलग फिलिस्तीनी राज्य बनाने पर कोई चर्चा नहीं हुई है।

हमास के एक प्रवक्ता ने इस प्रस्ताव को ठुकराते हुए कहा कि हम अपने हथियार नहीं छोड़ेंगे। ट्रम्प की यह योजना पूरी तरह इजरायल के पक्ष में है, इसलिए हम इसे ठुकराते हैं। इस योजना में फिलिस्तीनियों और गाजा के लोगों को उनके संवैधानिक अधिकारों से वंचित कर दिया गया है। ट्रम्प ने कहा है कि अगर हमास इस योजना को स्वीकार नहीं करेगा तो हम उसे इसे स्वीकार करने पर मजबूर कर देंगे। उन्होंने दावा किया कि इजरायली और अरब नेता इस योजना को स्वीकार कर चुके हैं।

फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद ने इस योजना को खारिज कर दिया है। इस संगठन के

महासचिव जियाद अल-नखलाह ने कहा है कि यह अमेरिकी और इजरायली गठजोड़ का नतीजा है। इस योजना से इजरायली रुख की पुष्टि होती है। उन्होंने आरोप लगाया कि फिलिस्तीनियों को उनके संवैधानिक अधिकारों से वंचित किया जा रहा है। मिस्र और कतर ने हमास से अपील की है कि वह इस योजना पर गंभीरतापूर्वक विचार करे और जल्दबाजी में कोई फैसला न करे। गौरतलब है कि मिस्र और कतर गाजा के मामले में मध्यस्थ की भूमिका निभा रहे हैं। जबकि इंडोनेशिया, पाकिस्तान, तुर्की, सऊदी अरब, कतर, जॉर्डन, संयुक्त अरब अमीरात और मिस्र ने इस योजना का स्वागत किया है और इसे शांति के लिए सकारात्मक प्रयास करार दिया है। इन देशों ने आशा व्यक्त की है कि अगर फिलिस्तीन को एक अलग राज्य का दर्जा मिल जाता है तो इससे इस विवाद के समाधान में सहायता मिलेगी।

यूरोपीय देशों ने ट्रम्प की इस योजना का स्वागत किया है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने कहा है कि यह योजना शांति के लिए एक नया अवसर प्रदान करती है। उन्होंने कहा कि इजरायल सच्चे दिल से इस योजना को स्वीकार करे और हमास फौरन सभी इजरायली बंधकों को रिहा करे। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने इस योजना का स्वागत किया है। उन्होंने सभी पक्षों से अपील की है कि इस योजना को जल्द से जल्द लागू किया जाए। फिलिस्तीनी अथॉरिटी ने इस योजना का स्वागत करते हुए कहा है कि इससे एक स्वतंत्र फिलिस्तीनी राज्य की स्थापना का रास्ता खुल गया है।

इंकलाब (2 अक्टूबर) के अनुसार हमास ने अमेरिकी राष्ट्रपति की योजना में संशोधन की मांग की है। उसने जोर दिया है कि इजरायल की सेना पूरी तरह से गाजा क्षेत्र को खाली कर दे और हमास के नेताओं की हत्या के सिलसिले को फौरन बंद करे। हमास ने कहा है कि हम ट्रम्प की योजना पर गंभीरतापूर्वक विचार कर रहे हैं, लेकिन अभी हम अंतिम फैसले पर नहीं पहुंचे हैं।

एक अन्य समाचार के अनुसार संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने युद्धविराम की योजना का स्वागत किया है। उन्होंने कहा है कि सभी पक्षों को पूरी ईमानदारी से इस योजना को लागू करना चाहिए ताकि इस क्षेत्र में स्थाई शांति स्थापित हो सके और लोगों को राहत महसूस हो सके। उन्होंने कहा कि गाजा के पीड़ितों के लिए बिना किसी रुकावट के राहत सामग्री उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाए। ब्रिटेन, इटली, रूस और फिलिस्तीनी अथॉरिटी ने भी ट्रम्प की इस योजना का स्वागत किया है। इन देशों ने जोर दिया है कि हमास का पूरी तरह से निःशस्त्रीकरण होना चाहिए और उसके लड़ाकों के लिए क्षमादान की भी घोषणा की जानी चाहिए। अगर हमास के लोग गाजा से बाहर जाना चाहें तो उन्हें वहां से निकलने का सुरक्षित रास्ता दिया जाना चाहिए।

वर्जीनिया में अमेरिकी सैन्य अधिकारियों को संबोधित करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प ने कहा कि हमें इस योजना पर हमास का हस्ताक्षर चाहिए। अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो उन्हें नरक का सामना करना पड़ेगा। फिलिस्तीनी सूत्रों के अनुसार हमास ने इस योजना के विभिन्न पक्षों पर उच्चस्तरीय बातचीत शुरू कर दी है। कतर ने

घोषणा की है कि वह हमास और तुर्की के साथ बातचीत करके इस योजना पर वार्ता को आगे बढ़ाने का प्रयास करेगा। कतर ने कहा है कि इस योजना के तहत हमास को गाजा की राजनीति से बिल्कुल अलग कर दिया जाएगा। उसके किसी भी लड़ाके के खिलाफ भविष्य में कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी और उन्हें आम माफी की सुविधा दी जाएगी। इस योजना में यह भी व्यवस्था की गई है कि इजरायली सेना धीरे-धीरे गाजा क्षेत्र को खाली कर दे। कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान अल थानी ने कहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति की योजना में कुछ बिंदुओं को स्पष्ट करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि अगर इस योजना को स्वीकार किया जाता है तो इससे इस क्षेत्र में शांति स्थापित होने की संभावना बढ़ सकती है और युद्ध का खात्मा हो सकता है। उन्होंने कहा कि इस योजना को लेकर फिलिस्तीनी गुटों में कुछ मतभेद है, जिन पर आम सहमति होना जरूरी है।

इंटरनेशनल सेंटर ऑफ जस्टिस फॉर फिलिस्तीन (आईसीजेपी) ने ट्रम्प की योजना पर असंतोष व्यक्त करते हुए कहा है कि यह एक सतही और उपनिवेशवादी सोच की ओर संकेत करती है। इस योजना में न तो फिलिस्तीनी जनता की भावना को ही शामिल किया गया है और न ही उनकी राय को महत्व दिया गया है। खास बात यह है कि इस योजना में गाजा पर इजरायली कब्जे को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया है। इजरायल को शांति की राह में रुकावट डालने की खुली छूट दे दी गई है। इस योजना के तहत जो शासन निकाय बनाने की व्यवस्था की गई है उस पर यूरोपीय उपनिवेशवादी शक्तियों का कब्जा है।

एक अन्य समाचार के अनुसार इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कतर पर हमले पर खेद प्रकट किया है। जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा है कि अगर भविष्य में कतर पर कोई हमला होता है तो उसे अमेरिका पर हमला माना जाएगा और हम कतर की रक्षा करेंगे। अमेरिका कतर की स्वतंत्रता और क्षेत्रीय अखंड़ता की हर कीमत पर रक्षा करेगा।

छह यूरोपीय देशों द्वारा फिलिस्तीन को मान्यता देने की घोषणा

रोजनामा सहारा (24 सितंबर) के अनुसार छह यूरोपीय देशों- फ्रांस, बेल्जियम, माल्टा, अंडोरा, मोनाको और लक्जमबर्ग ने फिलिस्तीन को मान्यता देने की विधिवित घोषणा कर दी है। इस फैसले से अमेरिका और इजरायल को गहरा झटका लगा है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने कहा है कि यही एकमात्र रास्ता है, जिसके जरिए पश्चिम एशिया में शांति स्थापित हो सकती है। लक्जमबर्ग के प्रधानमंत्री ल्यूक फ्रीडेन ने इसे एक ऐतिहासिक फैसला बताया है। जबकि बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर ने कहा है कि यह फैसला पश्चिम एशिया में स्थाई शांति की स्थापना के लिए महत्त्वपूर्ण है। फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रों ने आशा व्यक्त की है कि ऑस्ट्रेलिया, पुर्तगाल और कनाडा

भी शीघ्र ही स्वतंत्र फिलिस्तीनी राज्य को विधिवत मान्यता दे देंगे। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा है कि इससे फिलिस्तीनियों को उनका उचित अधिकार मिल सकेगा।

इंकलाब (24 सितंबर) के अनुसार अमेरिकी प्रशासन ने इन छह देशों द्वारा फिलिस्तीन को मान्यता देने की आलोचना की है। अमेरिका ने कहा है कि विश्व समुदाय द्वारा फिलिस्तीन को मान्यता देने से हमास की आतंकवादी गतिविधियों को प्रोत्साहन मिलेगा। इससे इजरायल भी विधिवत रूप से वेस्ट बैंक को अपने क्षेत्र में शामिल कर सकता है।

अवधनामा (28 सितंबर) के अनुसार इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि अलग फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता देना इजरायल के लिए आत्महत्या की तरह है। हम इस अन्याय के खिलाफ युद्ध लड़ते रहेंगे। जब तक हमास निःशस्त्रीकरण के लिए तैयार नहीं होता तब तक हम अपना युद्ध बंद नहीं करेंगे। नेतन्याहू ने फिलिस्तीन को मान्यता देने के यूरोपीय देशों के फैसले को शर्मनाक बताया है। उन्होंने कहा कि यूरोपीय देशों ने फिलिस्तीन को मान्यता देकर अरबों को यहूदियों का कत्लेआम करने की खुली छूट दे दी है। हम इस फैसले को किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं करेंगे और आखिरी दम तक इसके खिलाफ लड़ते रहेंगे।

कौमी तंजीम (23 सितंबर) के अनुसार ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और पुर्तगाल ने भी फिलिस्तीन को मान्यता दे दी है। फिलिस्तीनी विदेश मंत्रालय ने इन देशों के फैसले का स्वागत किया है। फिलिस्तीनी विदेश मंत्रालय ने आशा व्यक्त की है कि विश्व के अन्य देश भी इन देशों का अनुसरण करेंगे। फिलिस्तीन की विदेश मंत्री वार्सेन अगाबेकियन ने कहा है कि सऊदी अरब ने विभिन्न देशों द्वारा फिलिस्तीन को मान्यता देने के प्रयास में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हम इसे कभी नहीं भूल सकते। उन्होंने कहा कि ब्रिटेन द्वारा फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता देना फिलिस्तीन की कानूनी हैसियत की पुष्टि करता है और यह इजरायल के लिए एक मजबूत संदेश है।

फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने कहा है कि विश्व के विभिन्न देशों द्वारा फिलिस्तीन को मान्यता देना स्थाई शांति की ओर एक महत्त्वपूर्ण कदम है। हमास ने भी इस फैसले को फिलिस्तीनियों के अधिकार की जीत बताया है। हमास के नेता महमूद मर्दावी ने कहा है कि विश्व के विभिन्न देशों द्वारा फिलिस्तीन को मान्यता देने से इस बात की पुष्टि होती है कि आक्रांता इजरायल फिलिस्तीनी जनता के उचित

देना एक ढोंग है। पश्चिमी देश इस मुद्दे पर अरब देशों की एकता से घबरा गए हैं, इसलिए उन्होंने अरबों को धोखा देने के लिए फिलिस्तीन को मान्यता देने की नौटंकी शुरू की है। इससे समस्या का समाधान नहीं होगा। जब तक इजरायल का अस्तित्व रहेगा तब तक अरबों और इस्लाम को चैन नहीं आएगी।

मुंसिफ (24 सितंबर) ने अपने संपादकीय में कहा है कि इजरायल और अमेरिका द्वारा फिलिस्तीनियों पर जुल्म ढाए जा रहे थे और मासूमों की जिंदगियां छिनी जा रही थीं। इससे पश्चिमी देशों की मानवता पर चोट लगी थी। अंत में उनकी अंतरात्मा जागी और उन्होंने फिलिस्तीनियों की उचित मांग को स्वीकार कर लिया। समाचारपत्र ने अपील की है कि विश्व समुदाय इस समस्या का स्थायी समाधान खोजे ताकि मासूम अरबों के खून की होली खेला जाना बंद हो।

हिंदुस्तान (23 सितंबर) ने कहा है कि दुनिया इस सच्चाई से पूरी तरह अवगत है कि अमेरिका के दबाव पर ब्रिटेन ने इजरायल का सृजन किया था। 1967 के युद्ध में इजरायल ने अरबों को हराकर ग्रेटर इजरायल का खतरनाक मंसूबा बनाया। भले ही कुछ पश्चिमी देशों ने फिलिस्तीन को मान्यता दे दी हो, लेकिन अरब जगत पर ग्रेटर इजरायल का खतरा अब भी मंडरा रहा है। यहूदी कई अरब देशों की भूमि को हड़पना चाहते हैं ताकि वे ग्रेटर इजरायल के सपने को पूरा कर सकें।

कौमी भारत (23 सितंबर) ने अपने संपादकीय में कहा है कि पश्चिमी देशों ने फिलिस्तीनी जनता के युद्ध को आतंकवाद बताया था। अब फिलिस्तीनी जनता की कुर्बानियों को देखकर उन्हें यह स्वीकार करना पड़ा है कि फिलिस्तीन एक स्वतंत्र राष्ट्र है, जिस पर

अधिकारों को खत्म नहीं कर सका है। विश्व ने स्वतंत्र फिलिस्तीन राज्य के अस्तित्व पर अपनी मुहर लगा दी है।

इजरायल ने यूरोपीय देशों द्वारा फिलिस्तीन को मान्यता देने की निंदा करते हुए कहा है कि इससे इस क्षेत्र में अस्थिरता बढ़ गई है और फिलिस्तीन समस्या के शांतिपूर्ण समाधान की संभावनाओं पर हमेशा के लिए पानी फिर गया है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि पश्चिमी देशों की दोहरी नीति का पर्दाफाश हो गया है। एक ओर, तो वे आतंकवाद की निंदा करती हैं। दूसरी ओर, वे आतंकवादियों को प्रोत्साहन दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम किसी भी कीमत पर फिलिस्तीनी राज्य को कायम नहीं होने देंगे और आखिरी दम तक इसे रोकेंगे। फिलिस्तीनी क्षेत्र में यहूदी बस्तियां बसाने के सिलसिले को जारी रखेंगे और हम अपने क्षेत्रों को अपने कब्जे में लेकर ही रहेंगे, क्योंकि हम इन क्षेत्रों के वास्तविक वारिस हैं। उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र जानबूझकर इजरायल के लिए समस्या पैदा कर रहा है और वह स्वतंत्र फिलिस्तीन की मांग का समर्थन कर रहा है। यह इजरायल के अस्तित्व के लिए खतरा है। इससे आतंकवाद की ज्वाला भड़काने वाली शक्तियों को नया जीवन मिलेगा।

अवधनामा (30 सितंबर) ने कहा है कि पश्चिमी देशों द्वारा फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता

साम्राज्यवादी ताकतों ने धोखे से कब्जा किया और उसे यहूदियों का गुलाम बना दिया। समाचारपत्र ने कहा है कि भारत भी उन देशों में शामिल है, जिसने 1988 में फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में मान्यता दी थी।

एतेमाद (24 सितंबर) ने अपने संपादकीय में कहा है कि आखिर दुनिया ने पीड़ित फिलिस्तीनियों की कुर्बानियों को मान्यता दे दी है और उन्होंने पीड़ित फिलिस्तीनियों के साथ एकजुटता का भी संदेश दिया है। ब्रिटेन द्वारा फिलिस्तीन को मान्यता दिया जाना सबसे महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि वह संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थाई सदस्य है और उसे सुरक्षा परिषद के फैसलों पर वीटो लगाने का अधिकार है। यह मुसलमानों की राजनयिक और नैतिक जीत है।

सियासत (24 सितंबर) ने भी इस फैसले को विश्व के मुसलमानों की ऐतिहासिक जीत करार दिया है। समाचारपत्र ने कहा है कि शुरू से ही यह भूमि अरबों और मुसलमानों की रही है। प्रथम विश्वयुद्ध में ओटोमन साम्राज्य के पतन के बाद राष्ट्र संघ (लीग ऑफ नेशंस) ने इस क्षेत्र की जिम्मेवारी ब्रिटेन को दे दी थी। ब्रिटेन ने 1917 में बाल्फोर घोषणापत्र के तहत यहूदियों को एक स्वतंत्र देश प्रदान करने का आश्वासन दिया था। इसके बाद उसकी शह पर दुनियाभर के यहूदियों ने इस क्षेत्र में घुसना शुरू कर दिया। दूसरे विश्वयुद्ध के दौरान जर्मनी में यहूदियों के नरसंहार के कारण उनके लिए अलग देश की मांग को बल मिला।

1947 में संयुक्त राष्ट्र ने इस क्षेत्र को दो राज्यों में विभाजित करने का समर्थन किया। इनमें से एक था इजरायल, जिसकी जिम्मेवारी यहूदियों को सौंपी गई। दूसरा राज्य अरबों का फिलिस्तीन था। इसके धार्मिक महत्व के कारण यरुशलम को अंतरराष्ट्रीय नियंत्रण में रखने का फैसला किया गया, लेकिन अरबों ने इसे ठुकरा दिया। 14 मई 1948 को यूरोपीय देशों की शह पर इजरायल ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। अगले ही दिन मिस्र, जॉर्डन, सीरिया, इराक और लेबनान ने इजरायल पर हमला कर दिया, लेकिन पश्चिमी देशों द्वारा इजरायल को समर्थन के कारण उन्हें मुंह की खानी पड़ी। इसके बाद इजरायल ने फिलिस्तीनियों की जमीन पर कब्जा करना शुरू कर दिया। यहूदियों ने 10 लाख फिलिस्तीनियों को उनके घरों से बेघर कर दिया। इससे अरबों और यहूदियों में संघर्ष शुरू हो गया, जो आज तक जारी है।

चट्टान (23 सितंबर) ने कहा है कि पश्चिमी देशों द्वारा फिलिस्तीन को मान्यता देना इस्लाम की जीत है। समाचारपत्र ने कहा है कि मुस्लिम देशों की एकता के कारण अमेरिका और इजरायल को मुंह की खानी पड़ी है।

ईरान के चाबहार बंदरगाह पर अमेरिकी प्रतिबंध

उर्दू टाइम्स (1 अक्टूबर) के अनुसार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने ईरान के चाबहार बंदरगाह पर कई प्रतिबंध लगा दिए हैं। इसका बुरा असर भारत पर भी पड़ेगा। अमेरिकी मीडिया के अनुसार 2018 में ट्रम्प प्रशासन ने चाबहार परियोजना को प्रतिबंधों से मुक्त कर दिया था। अब इसे वापस ले

लिया गया है। ये प्रतिबंध 30 सितंबर 2025 से लागू हो गए हैं। चाबहार पर लगाए गए प्रतिबंध से भारत का चिंतित होना स्वाभाविक है, क्योंकि यह रणनीतिक रूप से एक महत्त्वपूर्ण बंदरगाह है। चाबहार बंदरगाह को भारत और ईरान मिलकर विकसित कर रहे हैं। यह बंदरगाह दोनों देशों के लिए बेहद महत्त्वपूर्ण है।

ट्रम्प ने घोषणा की है कि जो लोग चाबहार बंदरगाह का संचालन करेंगे या आईएफसीए अधिनियम में जिक्र की गई अन्य गतिविधियों में शामिल होंगे वे अमेरिकी प्रतिबंधों के दायरे में होंगे। इससे चाबहार परियोजना से जुड़ी भारतीय कंपनियों के लिए आपूर्तिकर्ता और वित्तपोषक ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। इन दिनों भारत-अमेरिका संबंध टैरिफ समेत कई अन्य मुद्दों को लेकर तनावपूर्ण हैं। ऐसी स्थिति में चाबहार परियोजना पर लगाए गए प्रतिबंधों से दोनों देशों के संबंधों में और भी कटुता आ सकती है।

अमेरिकी प्रतिबंधों के तहत सरकारी स्वामित्व वाली इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड सहित भारतीय और विदेशी कंपनियों को चाबहार परियोजना से हटने के लिए 45 दिनों का समय दिया गया है। ऐसा न करने पर उनकी सभी अमेरिकी संपत्तियां जब्त कर ली जाएंगी और अमेरिकी लेनदेन पर भी प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। अमेरिकी लॉ फर्म के अनुसार इन प्रतिबंधों के कारण भारत के लिए इस परियोजना में पूंजी निवेश करना असंभव हो जाएगा, क्योंकि इससे डॉलर की सप्लाई रूक जाएगी। चाबहार भारत के लिए सामरिक महत्व की परियोजना है। पिछले एक दशक में भारत ने अफगानिस्तान और पश्चिम एशिया से सीधा व्यापार करने के लिए चाबहार परियोजना में 600 मिलियन डॉलर का निवेश किया है। भारत इस बंदरगाह के जरिए कई देशों के साथ सीधा व्यापार करना चाहता है। चाबहार परियोजना को चीन की सहायता से पाकिस्तान में विकसित ग्वादर बंदरगाह का जवाब माना जा रहा है। ट्रम्प के इन प्रतिबंधों के कारण भारत की यह महत्त्वपूर्ण परियोजना खतरे में पड़ गई है।

उर्दू टाइम्स (22 सितंबर) के अनुसार ईरान को भविष्य में प्रतिबंधों से मुक्त रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पेश प्रस्ताव पारित नहीं हो सका है, क्योंकि अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और डेनमार्क समेत नौ देशों ने इसका विरोध किया था। जबकि सिर्फ चार देशों चीन, रूस, पाकिस्तान और अल्जीरिया ने इसके पक्ष में मतदान किया था। इसके कारण संयुक्त राष्ट्र द्वारा ईरान पर लगाए गए प्रतिबंध जारी रहेंगे। इन प्रतिबंधों के तहत ईरान विदेशों से हथियार नहीं खरीद पाएगा। उसे बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम को चालू रखने के लिए उपकरण खरीदने में भी परेशानी होगी। इसके अतिरिक्त विदेशों में उसकी संपत्तियों को फ्रीज कर दिया जाएगा।

इसी समाचारपत्र ने अपने संपादकीय में कहा है कि चाबहार बंदरगाह परियोजना पर अमेरिकी प्रतिबंधों से भारत की अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान पहुंचेगा। भारत ट्रम्प द्वारा लगाए गए भारी भरकम टैरिफ से ही संभल नहीं पा रहा है। अब अमेरिका द्वारा चाबहार परियोजना पर लगाए गए प्रतिबंधों से भारत की आर्थिक कठिनाईयों में बढ़ोतरी होगी। इस प्रतिबंध के कारण भारत अफगानिस्तान के नवनिर्माण के लिए आर्थिक सहयोग नहीं दे पाएगा। अमेरिकी विदेश विभाग का दावा है कि अमेरिका हांगकांग और संयुक्त

अरब अमीरात स्थित व्यक्तियों और संस्थाओं के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय अवैध वित्तीय नेटवर्क पर प्रतिबंध लगाकर ईरान की आतंकवादी गतिविधियों का मुकाबला कर रहा है। अमेरिकी विदेश विभाग ने कहा कि इन नेटवर्कों ने ईरानी तेल की बिक्री में मदद की। जब तक ईरान अपनी अवैध आय का इस्तेमाल अमेरिका और उसके सहयोगी देशों पर हमलों के लिए करता रहेगा तब तक हम ईरान के खिलाफ अपने सभी उपलब्ध साधनों का इस्तेमाल करते रहेंगे। समाचारपत्र ने कहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प रूस और ईरान को सबक सिखाने के पागलपन में भारत के आर्थिक हितों पर भी करारी चोट कर रहे हैं।

समाचारपत्र का कहना है कि भारत ईरान के साथ मिलकर ओमान की खाड़ी में स्थित चाबहार बंदरगाह में एक टर्मिनल का विकास कर रहा है। 13 मई 2024 को इस बंदरगाह के संचालन के लिए भारत ने ईरान के साथ 10 साल का अनुबंध किया था। भारत इस परियोजना के जरिए मध्य और पश्चिम एशिया के देशों के साथ अपने संबंधों को मजबूत करने का प्रयास कर रहा है। दुर्भाग्य यह है कि प्रधानमंत्री मोदी ट्रम्प के झांसे में आ गए हैं और वे अपने भावुक बयानों से देश की प्रतिष्ठा धूमिल कर रहे हैं। मोदी भूल गए हैं कि अमेरिका कभी किसी का दोस्त नहीं रहा है। उसे सिर्फ अपने हितों की चिंता है। अब अमेरिका द्वारा चाबहार बंदरगाह पर प्रतिबंध लगाने से भारत के मंसूबों पर पानी फिर गया है।

रूस द्वारा ईरान में आठ नए परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की योजना

सियासत (24 सितंबर) के अनुसार हाल ही में ईरान के परमाणु ऊर्जा संगठन के प्रमुख मोहम्मद इस्लामी ने मॉस्को का दौरा किया। इस दौरान रूस और ईरान ने आठ छोटे परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने से संबंधित एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह घोषणा ऐसे समय में की

गई है जब ईरान के अमेरिका और यूरोपीय देशों के साथ संबंध तनावपूर्ण हैं। पश्चिमी देशों ने ईरान पर पुराने प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है ताकि उसे परमाणु ऊर्जा विकसित करने से रोका जा सके।

इससे पहले संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक प्रस्ताव को रद्द कर दिया गया। इस प्रस्ताव में मांग की गई थी कि भविष्य में परमाणु ऊर्जा विकसित करने को लेकर ईरान पर कोई प्रतिबंध न लगाया जाए। इससे पहले ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी ने घोषणा की थी कि अगर ईरान संयुक्त राष्ट्र को अपने परमाणु संयंत्रों का निरीक्षण करने की अनुमति दे देता है और वह इस मामले में अमेरिका से बातचीत करने का आश्वासन देता है तो अगले छह महीने तक उस पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा।

सियासत (26 सितंबर) ने अपने संपादकीय में ईरान और रूस के बीच हुए परमाणु ऊर्जा संयंत्रों से संबंधित समझौते का स्वागत किया है। समाचारपत्र ने कहा है कि इन आठ छोटे परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में से चार ईरान के बुशहर प्रांत में स्थापित किए जाएंगे। इससे गर्मी के महीने में ईरान में ऊर्जा संकट से निपटने में सहायता मिलेगी। चार अन्य परमाणु ऊर्जा संयंत्र ईरान के अन्य नगरों में स्थापित किए जाएंगे। समाचारपत्र ने कहा है कि इस समय ईरान के पास रूस के सहयोग से बनाया गया सिर्फ एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र काम कर रहा है, जो एक गीगावाट बिजली का उत्पादन करता है। परमाणु ऊर्जा में आत्मनिर्भर होने से ईरान को यूरोपीय देशों की ब्लैकमेलिंग से मुक्ति मिलेगी।

समाचारपत्र ने कहा है कि इस समझौते से ईरान की ऊर्जा नीति में एक नया अध्याय जुड़ गया है। ईरान लगातार कहता रहा है कि उसका परमाणु कार्यक्रम शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए हैं, लेकिन यूरोपीय यूनियन, अमेरिका और इजरायल को उसके इस दावे पर संदेह है। ये देश चाहते हैं कि ईरान परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में एक वैश्विक शक्ति के रूप में उभर न सके। यही कारण है कि इजरायल ने जून महीने में ईरान के परमाणु ऊर्जा संवर्धन केंद्रों और सैन्य ठिकानों पर भीषण बमबारी की थी। इस बमबारी में ईरान के एक दर्जन से अधिक शीर्ष परमाणु वैज्ञानिक और सैन्य कमांडर मारे गए थे। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने स्वीकार किया था कि इन हमलों के कारण ईरान के यूरेनियम संवर्धन भंडार को भारी नुकसान पहुंचा है।

समाचारपत्र ने कहा है कि अब ईरान और रूस के बीच परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में बढ़ता हुआ सहयोग इस क्षेत्र में शक्ति संतुलन को नया रूप देगा। इससे न सिर्फ ईरान ही मजबूत होगा, बल्कि इस पूरे क्षेत्र में रूसी प्रभाव में भी बढ़ोतरी होगी। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि परमाणु ऊर्जा एक दोधारी तलवार है। एक ओर, यह बिजली उत्पादन और ऊर्जा जरूरतों का प्राथमिक स्रोत है, तो दूसरी ओर, अमेरिका और इजरायल का यह प्रयास है कि ईरान कभी भी एक ऊर्जा शक्ति के रूप में उभर न पाए।

सीरिया और यूक्रेन के बीच राजनयिक संबंध बहाल

रोजनामा सहारा (26 सितंबर) के अनुसार सीरिया और यूक्रेन के बीच राजनयिक संबंध फिर से बहाल हो गए हैं। हाल ही में न्यूयॉर्क में यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने सीरिया के राष्ट्रपति अहमद अल-शरा से मुलाकात की थी। इसके बाद दोनों देशों ने एक बार फिर से राजनयिक संबंध बहाल करने पर सहमति प्रकट की। उल्लेखनीय है कि यूक्रेन ने 2022 में सीरिया के साथ संबंध तोड़ लिए थे, क्योंकि सीरिया के तत्कालीन राष्ट्रपति बशर अल-असद की सरकार ने पूर्वी यूक्रेन में रूस समर्थित अलग हुए डोनेट्स्क और लुहांस्क गणराज्यों की स्वतंत्रता को मान्यता देने का प्रस्ताव रखा था।

जेलेंस्की और अल-शरा ने आशा व्यक्त की है कि इस फैसले से दोनों देशों के संबंधों में एक नए अध्याय की शुरुआत होगी। सीरिया के राष्ट्रपति अहमद अल-शरा अपने प्रतिनिधिमंडल के साथ संयुक्त राष्ट्र महासभा के अधिवेशन में भाग लेने के लिए न्यूयॉर्क पहुंचे थे। उल्लेखनीय है कि सीरिया ने लगभग 60 साल बाद पहली बार संयुक्त राष्ट्र महासभा के अधिवेशन में भाग लिया है। 1967 के अरब-इजरायल युद्ध में इजरायल ने दक्षिण-पश्चिमी सीरिया के गोलान हाइट्स पर कब्जा कर लिया था। तब इसके विरोध में सीरिया ने संयुक्त राष्ट्र महासभा का बहिष्कार कर दिया था। नूरुद्दीन अल-अतासी संयुक्त राष्ट्र के सम्मेलन में भाग लेने वाले अंतिम सीरियाई राष्ट्रपति थे। वे 1966-1970 तक सीरिया के राष्ट्रपति रहे। महासभा को संबोधित करते हुए अहमद अल-शरा ने संयुक्त राष्ट्र से मांग की है कि सीरिया पर लगाए गए अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों को हटा लिया जाए ताकि देश का पुनर्निर्माण किया जा सके।

RNI No. DELHIN/2017/72722

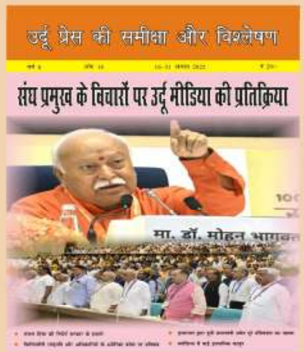

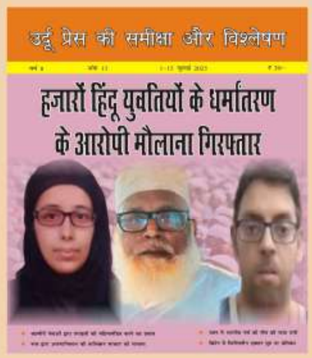

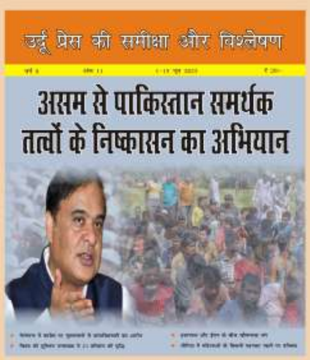

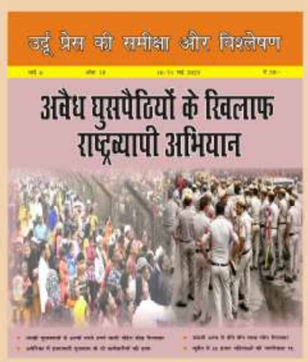

भारत नीति प्रतिष्ठान
India Policy Foundation

डी-51, प्रथम तल, हौजखास, नई दिल्ली-110016
दूरभाष : 011-26524018
ईमेल : info@ipf.org.in, indiapolicy@gmail.com
वेबसाइट : www.ipf.org.in